प्रेस नोट
दिनांक - 26.11.2025
जनपद - गोण्डा

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर श्री मुथा अशोक जैन द्वारा पुलिस लाइन एवं पुलिस कार्यालय गोण्डा का किया गया वार्षिक निरीक्षण, समस्त शाखाओं का निरीक्षण कर सम्बन्धित शाखा प्रभारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश-

आज दिनांक 26.11.2025 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर श्री मुथा अशोक जैन द्वारा पुलिस लाइन व पुलिस कार्यालय गोण्डा का वार्षिक निरीक्षण किया गया। वार्षिक निरीक्षण से पूर्व महोदय के पुलिस लाइन आगमन पर पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन रेंज गोण्डा श्री अमित पाठक एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा स्वागत किया गया। इसके उपरांत महोदय द्वारा क्वार्टर गार्द पहुँचकर गार्द की सलामी ली गई तथा संविधान दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम उपस्थित अधिकारी/कर्मचारियों को संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई गई। इसके उपरांत महोदय ने परिवहन शाखा, स्टोर, गणना कार्यालय, कैश कार्यालय आदि का निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पुलिस लाइन भ्रमण के दौरान महोदय द्वारा शस्त्रागार, गार्द रूम, प्रतिसार निरीक्षक कार्यालय, प्रचलित आरटीसी प्रशिक्षण, आरक्षी बैरक, भोजनालय, पुलिस मॉडर्न जिम, पुलिस कैफे तथा आदर्श बैरक का भी विस्तृत निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ व सुव्यवस्थित बनाने हेतु सम्बंधित को आवश्यक निर्देश दिए गए। इसी क्रम में महोदय द्वारा पुलिस लाइन स्थित शहीद राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी बहुउद्देशीय हॉल में आरटीसी प्रशिक्षुओं से संवाद स्थापित कर उनके प्रशिक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त की गई तथा उन्हें कर्तव्यपरायणता, अनुशासन एवं व्यवहारिक पुलिसिंग से संबंधित महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया गया। तत्पश्चात श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा पुलिस कार्यालय गोण्डा पहुँचकर गार्द की सलामी ली और पुलिस कार्यालय की समस्त शाखाओं—आगन्तुक हेल्प डेस्क, पुलिस मीडिया सेल, स्थानीय अभिसूचना इकाई (LIU), पासपोर्ट, जनशिकायत प्रकोष्ठ, वाचक कार्यालय, सी०ओ० लाइन, महिला शिकायत प्रकोष्ठ, डीसीआरबी, अपराध शाखा, विशेष किशोर पुलिस इकाई, एएचटीयू, आयोग सेल, आईजीआरएस शाखा, प्रधान लिपिक शाखा, आंकिक शाखा, सीसीटीएनएस, विधिक शाखा, विशेष जांच प्रकोष्ठ, साइबर सेल, मॉनीटरिंग सेल, पेंशनर सेल आदि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा शाखाओं में नियुक्त समस्त कर्मचारियों से उनके कार्यों की जानकारी प्राप्त की गई तथा पत्रावलियों के सुव्यवस्थित रख-रखाव व अद्यतन करने, क्राइम ब्रांच को लंबित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण, विशेष किशोर पुलिस इकाई व एएचटीयू को पॉक्सो एवं बालश्रम संबंधी मामलों में प्रभावी कार्यवाही, जनशिकायत/आईजीआरएस शाखा को गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण, प्रधान लिपिक शाखा को लंबित प्रारंभिक जांचों के शीघ्र निस्तारण एवं चरित्र पंजिकाओं में मंतव्य अंकन, आंकिक शाखा को जीपीएफ पासबुकों के अद्यावधिक करने, सीसीटीएनएस शाखा को प्रणाली को और बेहतर बनाने तथा समय-समय पर प्रशिक्षण आयोजित कराने, विधिक शाखा को मा० न्यायालय से प्राप्त रिटों में समय से आख्याएं दाखिल कराने, साइबर सेल को ऑनलाइन फ्रॉड पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने, मॉनीटरिंग सेल को पॉक्सो/महिला अपराधों में प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने, सोशल मीडिया सेल को विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर सतत निगरानी रखने, LIU को समयबद्ध पासपोर्ट सत्यापन व अभिसूचना तंत्र को अधिक सक्रिय रखने के निर्देश प्रदान किए गए। कार्यालय निरीक्षण के पश्चात महोदय द्वारा जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों व थाना प्रभारियों के साथ अपराध व कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गई तथा पुलिस लाइन स्थित सभागार में मा० विधायकगण गोण्डा, मनकापुर, कटरा

बाजार, तरबगंज, कर्नलगंज व गौरा तथा अन्य जनप्रतिनिधियों से भेंट व वार्ता की गई। तत्पश्चात पेंशनरों एवं वरिष्ठ पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता की गई।

इस दौरान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय, क्षेत्राधिकारी कार्यालय/लाइन सुश्री शिल्पा वर्मा, क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनंद कुमार राय सहित सभी शाखा प्रभारी एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 26.11.2025

मिशन शक्ति के अंतर्गत 'ऑपरेशन कन्विक्शन' में गोण्डा पुलिस एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी से छेड़खानी करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 03 वर्ष सश्रम कारावास व रूपये 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.01.2020 को वादी द्वारा थाना कटरा बाजार पर सूचना दी गई कि दिनांक 12.01.2020 को विपक्षी साहबे आलम पुत्र अमीन द्वारा उसकी 16 वर्षीय बेटी जो शौच करने गई थी के साथ अश्लील हरकतें करते हुए पकड़कर फोटो खींचने लगा, वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कटरा बाजार में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें कटरा बाजार पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान अभियुक्त सहबे आलम पुत्र अमीन नि0 ग्राम मंगरे पुरवा थाना कटरा बाजार, गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक उ0नि0 अखिलेश यादव द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 18.10.2021 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के आदेश के क्रम एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में आज दिनांक 26.11.2025 को थाना कटरा बाजार में पंजीकृत छेड़खानी सम्बन्धी अपराध में अभियोजक श्री अशोक सिंह, थाना कटरा बाजार के पैरोकार का0 सुनील कुमार शुक्ला व कोर्ट मोहर्रिर कां0 प्रवीण आर्या के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम महोदय श्री निर्भय प्रकाश द्वारा अभियुक्त सहबे आलम पुत्र अमीन नि0 ग्राम मंगरे पुरवा थाना कटरा बाजार, गोण्डा को दोषसिद्ध करते हुए 03 वर्ष कारावास व रु0 10,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त का नाम पता-

01. सहबे आलम पुत्र अमीन नि0 ग्राम मंगरे पुरवा थाना कटरा बाजार, गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0- 08/2020, धारा 354 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक – 26.11.2025
जनपद – गोण्डा

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन द्वारा थाना नवाबगंज का वार्षिक निरीक्षण, थाने की कार्यप्रणाली को और सुदृढ़ करने हेतु दिए महत्वपूर्ण निर्देश-

आज दिनांक 26.11.2025 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर श्री मुथा अशोक जैन द्वारा पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के साथ थाना नवाबगंज पहुँचकर थाने का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण से पूर्व महोदय द्वारा गार्द की सलामी ली गई। इसके उपरांत उन्होंने थाना परिसर के थाना कार्यालय का अवलोकन किया, तत्पश्चात भोजनालय, आवासीय परिसर, विवेचना कक्ष, महिला हेल्प डेस्क, शस्त्रागार, आवासीय बैरक, मालखाना तथा बाउंड्री वाल आदि शामिल रहे। निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा थाना परिसर में व्यापक सफाई व्यवस्था, कार्यालय के अभिलेखों एवं पत्रावलियों के सुव्यवस्थित एवं अद्यतन रख-रखाव, भोजनालय में पोषक एवं स्वच्छ भोजन की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने शस्त्रागार में शस्त्रों की नियमित सफाई, रजिस्टरों के अद्यतन रखरखाव तथा सुरक्षा प्रबंधन को और मजबूत करने पर बल दिया। महिला हेल्प डेस्क/मिशन शक्ति कक्ष के निरीक्षण के दौरान महोदय ने महिला फरियादियों की समस्याओं के प्रति और अधिक संवेदनशीलता, सहानुभूति एवं त्वरित निस्तारण की आवश्यकता पर जोर देते हुए संबंधित कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। उन्होंने विवेचना कक्ष में लंबित मामलों की प्रगति की समीक्षा करते हुए विवेचनाओं को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध ढंग से संपादित करने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा क्षेत्रीय सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चौकीदारों से संवाद स्थापित किया गया तथा उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन व सुझाव प्रदान किए गए। उन्होंने चौकीदारों की भूमिका को स्थानीय सूचना संकलन एवं अपराध नियंत्रण में अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए उन्हें अधिक सक्रिय रहने के लिए प्रेरित किया। महोदय ने संपूर्ण निरीक्षण के दौरान थाना प्रभारी एवं समस्त पुलिस कर्मियों को अनुशासन, संवेदनशीलता, त्वरित सेवा-प्रदान तथा आमजन की समस्याओं के प्रभावी निस्तारण पर केंद्रित होकर कार्य करने हेतु निर्देशित किया।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पश्चिमी श्री राधेश्याम राय, क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह, थाना प्रभारी नवाबगंज सहित अन्य पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।